

(दिल्ली राजपत्र (असाधारण) के भाग IV में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
राजस्व विभाग, 5-शाम नाथ मार्ग, दिल्ली

Dated:-26/02/2021

अधिसूचना

सं0फा 1 (2854)/पंजी0 शाखा/मंडलीय आयुक्त/मुख्यालय/2020/5455 - गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 22 जुलाई, 1961 के एसओ 1736 (सं0 2/5/61 - न्याय - II) तथा दिनांक 07 सितंबर, 1966 की अधिसूचना एसओ 2709 (41/2/66 -दिल्ली) के साथ पठित दिल्ली स्टाम्प (लिखित अवमूल्यांकन रोकथाम) नियमावली, 2007 के नियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए तथा और इस सरकार की 22 सितंबर, 2014 की अधिसूचना सं0फा 1 (953)/पंजी0 शाखा/मंडलीय आयुक्त/मुख्यालय/2020/5943 के अधिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा उक्त अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के प्रयोजन के लिए दिल्ली में भूमि के मूल्यांकन तथा अचल संपत्तियों के लिये न्यूनतम दरों (सर्किल दरों) में छूट को अधिसूचित करते हैं, इस अधिसूचना के साथ संलग्न संलग्नक-I में यथाविनिर्दिष्ट, और चूंकि यह माना जाता है कि इन न्यूनतम दरों को तुरन्त लागू किया जाना चाहिए, उपराज्यपाल आगे निर्देश देते हैं कि वे पूर्व प्रकाशन के बिना लागू होंगे।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) और भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का XVI) के प्रावधानों के तहत सभी पंजीकृत अधिकारियों द्वारा दिल्ली में भूमि, अचल संपत्तियों से संबंधित प्रलेखों के पंजीकरण के समय दिल्ली में लागू करने के लिए उपरोक्त दरों पर विचार किया जायेगा।

ये संशोधित दरें 30/09/2021 तक तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल के आदेश से
और उनके नाम पर,



(संजीव खिखरवार)

प्रधान सचिव-सह-मंडलीय-आयुक्त (राजस्व)

दिनांक :-26/02/2021

भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क के भुगतान के उद्देश्य के लिये भूमि और संपत्तियों के मूल्यांकन के लिये न्यूनतम दरें (सर्किल दरें), दिल्ली में पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत दिल्ली एवं पंजीकरण शुल्क पर यथा लागू:-

तालिका-1

आवासीय प्रयोग हेतु न्यूनतम भूमि दरें		
इलाके की श्रेणी	आवासीय प्रयोग के लिये भूमि के मूल्यांकन की वर्तमान न्यूनतम दरें (रुपये प्रति वर्ग मीटर में)	आवासीय प्रयोग के लिये भूमि के मूल्यांकन हेतु प्रभावी सर्किल दरें (रुपये प्रति वर्ग मीटर में)
ए	774000	619200
बी	245520	196416
सी	159840	127872
डी	127680	102144
ई	70080	56064
एफ	56640	45312
जी	46200	36960
एच	23280	18624

तालिका-2

आवासीय उपयोग के लिये निर्माण लागत की न्यूनतम दरें		
इलाके की श्रेणी	आवासीय प्रयोग के लिये निर्माण की वर्तमान न्यूनतम दरें (रुपये प्रति वर्ग मीटर में)	आवासीय प्रयोग के लिये भूमि के मूल्यांकन हेतु प्रभावी सर्किल दरें (रुपये प्रति वर्गमीटर में)
ए	21960	17568
बी	17400	13920
सी	13920	11136
डी	11160	8928
ई	9360	7488
एफ	8220	6576
जी	6960	5568
एच	3480	2784

तालिका-3

व्यावसायिक उपयोग के लिये निर्माण लागत की न्यूनतम दरें		
इलाके की श्रेणी	व्यावसायिक उपयोग के लिए निर्माण की वर्तमान न्यूनतम दरें (रुपये प्रति वर्ग मीटर में)	आवासीय उपयोग हेतु भूमि के मूल्यांकन के लिये प्रभावी सर्किल दरें (रुपये प्रति वर्ग मीटर में)
ए	25200	20160
बी	19920	15936
सी	15960	12768
डी	12840	10272
ई	10800	8640
एफ	9480	7584
जी	8040	6432
एच	3960	3168

तालिका-4

चार तलों तक निर्मित फ्लैटों की न्यूनतम दरें				
कुरसी क्षेत्र के आधार पर फ्लैट की श्रेणी (वर्ग मीटर)	दिल्ली विकास प्राधिकरण कॉलोनियों और गुप्त हाउसिंग सोसायटी (आवासीय उपयोग के मामले में) के लिए वर्तमान न्यूनतम निर्मित दर (रुपये प्रति वर्ग मीटर में)	दिल्ली विकास प्राधिकरण कॉलोनियों और गुप्त हाउसिंग सोसायटी (आवासीय उपयोग के मामले में) के लिए प्रस्तावित वर्तमान न्यूनतम निर्मित दर (रुपये प्रति वर्ग मीटर में)	दिल्ली विकास प्राधिकरण कॉलोनियों/सहकारी आवास समितियों/प्राइवेट बिल्डरों के फ्लैटों (व्यावसायिक उपयोग के मामले में) वर्तमान न्यूनतम दर (रुपये प्रति वर्ग मीटर)	दिल्ली विकास प्राधिकरण कॉलोनियों/सहकारी आवास समितियों/प्राइवेट बिल्डरों के फ्लैटों (व्यावसायिक उपयोग के मामले में) प्रस्तावित न्यूनतम दर (रुपये प्रति वर्ग मीटर)
30 वर्ग मीटर तक	50400	40320	57840	46272
30 से ऊपर तथा 50 वर्ग मीटर तक	54480	43584	62520	50016
50 से ऊपर तथा 100 वर्ग मीटर तक	66240	52992	75960	60768
100 वर्ग मीटर से ऊपर	76200	60960	87360	69888

तालिका-5

चार तलों से अधिक वाले तक निर्मित फ्लैटों की न्यूनतम दरें		
संपत्ति की श्रेणी	वर्तमान न्यूनतम निर्मित दर (रुपये प्रति वर्ग मीटर में)	प्रभावी न्यूनतम निर्मित दर (रुपये प्रति वर्ग मीटर में)
आवासीय	87,840/-	70,272/-
व्यावसायिक	1,00,800/-	80,640/-

- दिनांक 22/9/2014 की अधिसूचना संख्या फा0 1 (953)/पंजी0 शाखा/मंडलीय आयुक्त/मुख्यालय/आर/2014/5943 के द्वारा यथा अधिसूचित विभिन्न श्रेणियों के गुणक कारक सर्किल दरों में 20 प्रतिशत की परिकल्पित कटौती के बाद भी निरन्तर लागू होंगे।

टीप:- जहां फ्लैट के अलावा किसी स्वतंत्र सम्पत्ति का एक भाग कुरसी क्षेत्र जैसे एक फ्लोर बेचा जाता है तो सम्बन्धित न्यूनतम भूमि लागत बेचे गये अनुपातिक कुरसी क्षेत्र के लिए लगाई जायेगी तथा बेचे गये कुरसी क्षेत्र पर न्यूनतम निर्माण लागत प्रयोग की जायेगी।



(संजीव खिरवार)


प्रधान सचिव-सह-मंडलीय-आयुक्त (राजस्व)

सं0फा 1 (2854)/आरईजीएन0 शाखा/मंडलीय आयुक्त/मुख्यालय/2020/5455 Dated:-26/02/2021

प्रतिलिपि निम्न को अग्रसारित :-

1. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, दिल्ली।
3. प्रधान सचिव (सा0प्र0वि0), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ एक अतिरिक्त प्रति सहित।
4. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली।
5. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
6. सचिव, राजस्व मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
7. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, दिल्ली।
8. प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

9. समस्त उपायुक्त (राजस्व), ए0डी0एम, एस0डी0एम0, उप-पंजीयक, डीआईओ।
10. स्टेट इन्फॉमेटिक्स अधिकारी, एनआईसी, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली।
11. नि. सं. मंडलीय आयुक्त, दिल्ली।
12. सिस्टम विश्लेषक को डीओआरआईएस प्रोग्राम में आवश्यक परिवर्तन एवं अधिसूचना को राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।
13. परामर्शदाता (राजस्व)।
14. गार्ड फाईल।


(संजीव खरवार)
प्रधान सचिव-सह-मंडलीय-आयुक्त (राजस्व)